Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- ➢ अजय सिंह हाल सहायक कर्मचारी, नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदाकर्मी) को दलाल पवन के मार्फत रिश्वत राशि 50,000/- रूपये प्राप्त करते हुये गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, 29 अप्रेल, 2026 बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की झालावाड़ चौकी द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **अजय सिंह हाल सहायक कर्मचारी, नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदाकर्मी)** को परिवादी से **दलाल श्री पवन** के मार्फत रिश्वत राशि 50,000/- **रूपये** प्राप्त करते हुये गिरफ्तार किया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड चौकी को दिनांक 27.04.2026 को परिवादी द्वारा जरिये मोबाईल अवगत करवाया कि मेरा गांव नगरपालिका अटरू की सीमा में आता है मैने मेरे पिताजी के नाम से लक्ष्मीपुरा गांव में प्लाट का पट्टा बनवाने के लिए नगर पालिका अटरू में आवेदन कर रखा है, आवेदन के बाद में जब नगरपालिका अटरू के सहायक कर्मचारी अजय सिंह से मिला तो उन्होने बताया कि तेरे पिताजी का पट्टा बन जायेगा, लेकिन तुझे खर्चा पानी के 60 हजार रूपये देने पडेगें। इस प्रकार आरोपी जो कि जेईएन का काम भी देखता है परिवादी से 60 हजार रूपये की रिश्वत मांग कर परेशान कर रहा हैं।

इस पर उसी दिन दिनांक 27.04.2026 को एसीबी चौकी झालावाड़ द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री अजय सिंह हाल सहायक कर्मचारी, नगर पालिका अटरू जिला बारां (संविदाकर्मी) द्वारा परिवादी से उसके पिताजी के नाम ग्राम लक्ष्मीपुरा में प्लॉट का पट्टा बनवाने के लिए 60,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई। और परिवादी से बाद में 50,000/-रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ तथा रिश्वत राशि कृष्णाश कन्स्ट्रक्शन एण्ड इंजिनियर्स शाप नम्बर 04, नगर पालिका अटरू में बैठने वाले प्राईवेट व्यक्ति पवन को देने की कहा।

जिस पर ए.सी.बी. कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी झालावाड़ के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रेरणा शेखावत** के निर्देशन में **पुलिस निरीक्षक श्री साजिद खान** द्वारा मय टीम के कार्यवाही करते हुए आरोपीगण अजय सिंह व पवन दलाल को परिवादी से रिश्वत राशि 50,000/- रूपये प्राप्त करते हुए गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** एवं **महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस परिमला** के निर्देशन में आरोपीगण से पूछताछ की कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।